بسم الله الرحمن الرحيم

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ

(Surah Baqara - 43)

ज़कात और हुक़ूक

शरियत मुताबिक कैसे अदा करना

शेहरे रमजान उल मोअज्ज़म १४३७ ह

ज़कात का सवाब और एहमियत

नमाज़, रोज़ा और हज की तरह ज़कात इस्लाम के सात दआइम में से एक एहम नेअमत है। ज़कात खुदा का हक है। अल्लाह तआला कुराने मजिद में १३ जगह मुमिनीन को नमाज़ कायम करने का और ज़कात अदा करने का हुकुम किया है (सूरह अल बकरा : आयत ४३)

हर मूमिन पर वाजिब है की साल में एक बार ज़कात अदा करे। जकात अदा करने से सवाब ज्यादा से ज्यादा हासिल हो लिहाज़ा दुआत किराम ने शेहरे रमजान के महीने में ज़कात अदा करने का इरशाद फ़रमाया है।

कुरान में कई जगह खुदा तआला ने ज़कात अदा करने वालों के लिए बड़ी जीत यानी जन्नत का वादा किया है। बड़ी जीत उसके लिए है जो ज़कात को अदा करते है और अपने रब को याद करके इबादत करते है। (सूरह अल आला: आयत १४.१५)

ज़कात इक्ट्ठा और तकसीम करना :

जकात की रकम उसी ज़मान में मौजूद हक़ के साहब यानि इमामुज़ ज़मान अ.स. और आपकी ग़ैबत में सतर के दाई उज ज़मान के हाथ मुबारक पर अर्ज़ करे तो ही कबुल होगी। सैयद्ना कजिम नोमान (र.अ.) फरमाते है के खुदा तआला उस शख्स की ज़कात को कबुल नहीं करते जो हक के साहब के बदले दुसरे किसी गैर को अदा करते हो। सदका या कोई मदद की रकम किसी और को दी जा सकती है लेकिन ज़कात की रकम इमाम के सतर में दाई उज ज़मान को या जिसे दाई ने रज़ा दी हो उसे अदा करें तो ही ज़कात कबूल होती है।

दाई के ऊपर लाज़िम है के रसूलुल्लाह (स.अ.व.) और आपके शेह्जादे इमामुज़ ज़मान के नाइब की हैसियत से ज़कात हासिल करें और उसूल के मुताबिक उन्हें तकसीम करें। खुदा तआला ने कुराने माजीद में रसुलुल्लाह (स.अ.व.) को हुकुम फ़रमाते है कि लोगों के माल में से ज़कात लो जिससे वो पाक हो जाए और उसके हक में दुआ करो। आपकी दुआ उसके लिए सुकून का सबब है। खुदा तआला सुनने वाला और जानने वाला है। (सूरह अल तौबा: आयत १०३)

रसुलुल्लाह (स.अ.व.) की हज़रत में जो जकात अदा करने आता आप कबूल फरमाते और दूर दराज इलाकों में जकात हासिल करने के लिये अपने सहाबा केराम को भेजते थे।

ज़कात की बहुत अहमीयत है। इसे कौम की फलाह औ बेबूदी (कल्याण) के लिये, समाज मे मौजूद कमजोरों और बेसहारा लोगों की इमदाद के लिये और दीन और इस्लाम की मजबूती में इस्तेलमाल किया जाता है। इस्लाम में कौमी बेदारी और दायानतदारी पर जोर दिया गया है। इस्लाम जरूरतमंद लोगों को ज़कात के जरिये इमदाद फराहम करने वास्ते कौम के अमीर को जिम्मेदार बनाता है।

कुरान पाक के मुताबिक ज़कात हासिल करने के लिये आठ तरह के लोग मुस्तहिक है : (1) फकीर (2) मिसकीन (3) ज़कात को इक्टठा करने वाले मुंतजिमीन (4) लोगों के दिल जीतने में (तब्लीगे इस्लाम) (5) गुलामों को आज़ाद करवाना (6) कर्ज़ से नजात (7) अल्लाह की राह में और (8) मुसाफिरों की मदद के लिये। अल्लाह ने इसे फ़र्ज़ किया है, अल्लाह आलिम औ हाकिम है। (सूरह अल तौबा: आयत ५०)

इसके अलावा ज़कात और दीगर वाजेबात कौम के निजाम और दावत के कई कामों को पूरा करने के लिये काम में लिये जाते है।

मुकदमा :

कुरान, हदीस और आइमाह ताहिरीन के अमल के मुताबिक ज़कात और वाजेबात के हिसाब :
ज़कात के हिसाब करने के कवानीन (तरीके) का जिक्र रसूले करीम (स.अ.व.) के सुन्नत और हदीस, अमीरूल मूमिनीन (स.अ.) के अकवाल, फातिमी इमामों और उसकें दुआतों के बयान में है।

जिस तरह कलामें पाक में नमाज़ का जिक्र है और रसूले करीम (स.अ.) का इरशाद है कि नमाज कायम करें, कब कायम करें और कैसे कायम करें उसी तरह जकात बाबत भी आपका फरमान है कि जकात किस पर कितना वाजिब है, अंदाजन ज़कात अदा करना ज़कात नहीं माना जा सकता।

ज़कात के कवानीन की तफसीर का दावत की किताबों में बयान आया है। खासतं सैयदना काज़ी नौमान की किताबों में जो कि मोईज इमाम के काज़ी थे। इन किताबों में सब से अहम ''दाएमुल इस्लाम'' (ज.ज़ा-1 सफाह 298-326) है इसके साथ मुख्तसर अल आसार और किताब ''अलहिम्मा'' (सफाह 61-68) सत्र के दुआतों ने भी जकात के बारे में बहुत मसायल बयान किये है। जैसे-जैसे नये-नये तरीके से आमदनी हो रही है वैसे-वैसे दुआत केराम, इमामों और फिकाह के मुताबिक समझाते है और जकात हासिल करते है। सत्र के जमान में ज़कात के मसायल खास कर किताब ''अल हवाशी'', मसायल सैयदी अमीनजी बिन जलाल, मज़मूआ मसायल अल फिकाह, सैयदना ताहिर सैफुद्दीन (र.अ.) के रसायल और शफुया जवाब दिये हुए मसायल इसमें है।

हाल में जकात और वाजेबात के कवानीन कैसे अमल में लाये जाए इसे 53वैं दाई सैयदना खुज़ेमा कुतबुद्दीन (र.अ.) की रज़ा से हिज़री सन् 1436 में नशर किये. हाल में सैयदना खुज़ेमा कुतबुद्दीन साहिब (र.अ.) के वारिस 54वैं दाई सैयदना ताहिर फखरूद्दीन त.उ.श. की रज़ा से दुबाराह नशर किये जा रहे है। सैयदना ताहिर फखरूद्दीन त.उ.श. अपने वली और जमान के हादी और रहबर है। इस मुकाम के लिये सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन (र.अ.) और सैयदना खुज़ेमा कुतबुद्दीन (र.अ.) ने आपको तैयार किया है।

जकात और वाजेबात का हिसाब :

जकात हर साल वाजिब है। और इसके हिसाब का आसान तरीका अपने सभी खर्चों के बाद बचत की रकम का 40वां हिस्सा यानि 2.5% जकात निकालनी चाहिये। जिसकी तफसील हस्ब जेल है।

FIXED ASSETS (अचल सम्पत्ति): जमीन, बिल्डिंग और मशीनरी पर सिर्फ एक बार खरीदते वक्त, अगर मशीन खरीदने के लिये जुटाई गयी रकम पर ज़कात अदा की जा चुकी है तो ज़कात न दें। इन्हीं जमीन, बिल्डिंग और मशीनों को बेचने पर यदि कोई मुनाफा कमाया है तो उस पर ज़कात वाजिब है।

SHARES AND STOCK (शेयर और स्टोक) : शेयर और स्टोक भी अचल सम्पत्ति में माने जाते है। लिहाज़ा स्टोक पोर्ट फोलियो की लागत के आधार पर जकात एक ही बार वाजिब है। शेयर खरीदने के लिये जुटाई गयी रकम पर अगर पहले जकात अदा कर चुके हो तो दुबारा जकात देने की

जरूरत नहीं है। शेयर और स्टोक के बेचान पर नफा (REALIZATION GAIN) पर जकात वाजिब है।

LIQUID ASSETS (चल सम्पत्ति) :

a. LIQUID ASSETS (चल सम्पत्ति): माने नकद रूपिये, बचत और आपकी दुकान या बिजनेस से हुए मुनाफे को जाकत में सम्मिलित किया जाता है।
b. नौकरी पेशा लोगों के लिये सालाना वाज़ीफे पर जकात वाजिब है।

(चल सम्पत्ति में उक्त दोनों ही जराये से होने वाली आमदानी से बुनियादी खर्च निकालने के बाद बचत की रकम पर जकात का हिसाब किया जाये।)

सारे बुनियादी खर्चे निकालने के बाद बची हुई रकम पर ही जकात वाजिब है। अगर आपकी आमदानी से कोई बचत नहीं है तो जकात वाजिब नहीं है।

अतीरिक्त (दीगर) वाजेबात :

जकात के अलावा खुदा तआला ने दीगर वाजेबात भी फर्ज किया है। और रसूले करीम (स.अ.व.), मौला अली (अ.स.), अपने इमामों और दुआतों ने अपने बयान में इसका जिक्र किया है। इन वाजेबात को अदा करना बडे शरफ का काम है। मूमिनीन अपनी हेसीयत के मुताबिक इसे ज्यादा से ज्यादा अदा करे और दिल से अदा करें।

खुमुस :

आमद का पांचवा हिस्सा (20%) खुमुस हर साल हक के साहब को जकात के साथ अदा करें। अल्लाह ने कुराने मजीद में जकात के साथ खुमुस को भी वाजिब किया है : ''व अलमों इन्नमा ग़नीमतुम मिन शयअं फअन्ना

लिल्लाहे खुमुसहू वलिलरसूले वलिजील कुरबी वल यातीमा वल मिसकीना वअबने अल सबीले इन कुनतुम आमनतुम बिलल्लाहे वमा अंजलना अला अब्देना योमाल फुरकाने योमा अलतका अलजमआ वल्लाहो अला कुल्ले शअ्यं कदीर'' (सूरत अल अनफाल 61) तुम जान लो कि जो भी गनीमत का माल तुम्हें मिले उसमें से पंचवा हिस्सा अल्लाह के लिये, रसूल के लियेए ज़ुलकुर्बाह के लिये, यतीम के लिये, मिसकीन के लिये और मुसाफिरों के लिये है।

सैयदना काजी नौमान फरमाते है कि इमामों (और दुआतो) जकात जबरन लेते है क्यों कि ये खुदा का हक है। मगर लोगों को खुमुस पूरा भरने के लिये जब्र नहीं करते क्योंकि यह उसका हक है और उसके इख्तियार में है कि वह पूरा ले या उसमें छूट दे (किताब अल हिम्मा) वाजिब तो है जितना बन सके उससे ज्यादा अदा करें, सवाब उतना ज्यादा है।

खुमुस की माअ्ने और मकसद सैयदना काजी नौमान किताब ''अल हिम्मा'' में फरमाया है कि (सफाह 65-68) अल्लाह तअ्ला ने रसूलुल्लाह (स.अ.व.), उनके एहले बैत, और इमामों को अमीन बनाया है और लोगों से ज़कात लेने और उसे तकसीम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अल्लाह तआला ने इन पर जकात हराम किया है और जकात का माल खुद के लिये, उनके कराबतदारों के लिये इस्तेमाल की मुमानियत फरमायी है। इसके एवज् खुदा ने खुमुस माने माले ग़नीमत में इमामों का हक करार दिया है। खुमुस मूमिनीन पर वाजिब है यह आमद पर सिर्फ एक ही बार देना है जकात की तरह हर साल नहीं।

ज़कात के साथ मूमिनीन पर ग़नीमत के माल में से खुमुस भी वाजिब है जो इमामुजमान (अ.स.) को अर्ज करे और इमाम के गैबत में सत्र में दाई को अर्ज करे। ग़नीमत सिर्फ जंग की ग़नीमत नहीं बल्कि जो कुछ तुम जरूरत से अधिक कमाते हो वह माले ग़नीमत है।

इमाम जाफरूस सादिक (अ.स.) फरमाते है कि अल्लाह तआला ये इबादुल्लाह मूमिनीन के माल मिलकीयत में से हमारे लिये खुमुस वाजिब किया है, ये हमारा हक है। जो कोई हमारा हिस्सा उसके माल से अदा नहीं करेगा उसे अल्लाह तआला कोई हक या हिस्सा नहीं देगा।

जकातुल फितर :

फितर घर के हर शख्स पर वाजिब है। इसे इदुलफितर से पहले अदा करना लाज्मी है नहीं तो रोज़े नहीं माने जाते। फितराह् फकीर, मिसकीन पर भी लाज़िम है। घर के मुखिया उसके कराबत के लोगों और उसके नौकरों की तरफ से फितराह् अदा करें।
रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के जमान में फितराह् एक किलो गेहूं या जौ या तमर या जबीब या उसका भाव होता था। फातिमी इमामों ने फितरे की रकम को चांदी के भाव के साथ जोडा है। एक दिरहम और एक दिरहम का छटा हिस्सा (11/6 दिरहम या 3.471 ग्राम चांदी) शहरे रमजान 1437 हिज़री में 3.471 चांदी का भाव : रू.135.00 / US$2.00/ GB£ 1.36 है।

हक्कुन नफ्स

कोई मूमिनीन मूमिनाह गुजर जाय तो उसकी तरफ से उसके कराबतदारों को हक के साहिब को उसके जान के सवाब के खातिर हक्कुन नफ्स अदा करें। मूमिन खुद अपनी जान के सवाब की खातिर भी हक्कुन नफ्स अरज कर सकते है। हक्कुन नफ्स का हिसाब 119 अदद के गोलो से होता है (मसलन 10x119)।

कफ्फारतुज़ जुनूब :

गुनाहों (जुनूब) के कफ्फारत के लिये अदा किया जाता है। हर साल थोड़ी सी रकम जकात के साथ और जब वाजेबात हो तो ज्यादा रकम अदा करें।

फर्ज के रोज़े पर कफ्फारत :

पिछले साल शहरे रमजान की फरीजत के रोज़े किसी बीमारी और औरतों के अइयाम की वज़ह से रोजे फोत हुए है तो कफ्फारत वाजिब है। कफ्फारत 1/2 किलो अनाज की कीमत के बराबर अदा करें।

मिन्नत :

कोई रकम नज़र या मिन्नत मानी हो जिसकी उम्मीद पूरी होने पर जकात के साथ हर साल अदा करे दीगर अलाहिदा मौके पर भी अदा की जा सकती है।

नजरूल मकाम (अ.स.) :

इमामुज जमान (अ.स.) की मिन्नत से कोई उम्मीद पूरी होने पर जकात के साथ हर साल अदा करे और दिगर मौके पर भी अदा करें।

नज़वा :

दाई और मरातिब का सलाम जो हर साल जकात के साथ अदा करे और अलायदाह मौके पर भी। अल्लाह तआला कुरान मजीद में फरमाया कि

''या अइयुहाल्लजी अमनु इजा नाजीतुम अर्रसूल फकद्देमु बयना यदेय नजवाकुम सदाकतु'' (सूरह् : अल मुजादेलाह 12)

मूमिनीन जब तुम रसूलुल्लाह के नजदीक आओ तो नजवा अरज़ करो तुम्हारे लिये खैरो बरक़त है अगर तुम्हारे लिये मुनासिब नहीं है तो खुदा गफ़ूरूर रहीम है। ऐसा जिक्र है कि जब यह आयात उतरी हजरत अमीरूल मूमिनीन पहले असहाबी थे जिन्होंने नज़वा अदा किया। आप रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के नजदीक तश्रीफ लाये और एक दिरहम अरज किया। और इसी तरह अमल करते रहे। अहले सुन्नत की किताब ''अल वाहिदी के असबाब उन नुजूल'' और असकरी की किताब ''अल अवाइल'' में जिक्र है।

सिलतुल इमाम अ.स. :

ये इमामुज़ जमा अ.स. का सलाम है जिसे हर साल जकात के साथ अदा करे। जिस तरह ईद और दीगर मुबारक मौके पर अदा करते है। इमाम मोहम्मदुल बाकिर अ.स. ने फरमाया कि एक साल गुजर जाये और कोई शख्स हमें बड़ी या छोटी रकम सिलाह में अदा न करे तो खुदा तआला उसकी तरफ कयामत के दिन नजर नहीं करेंगे। सिलाह एक फरीजत है। खुदा तआला ने शियाओ पर हमारे वास्ते कुरान में फर्ज किया है। तुम्हें कोई यारी नहीं मिलेगी जहां तक तुम जो पंसद करो उस पर खर्च नहीं करोगे (सूरह: आले इमरान 92 व दाइमुल इस्लाम जजा स 98)।

फातेमी दावत